10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–टीकमगढ़

प्रतिपाल सिंह पुत्र श्री दिल्लीराजा
निवासी– छिदारा तहसील पलेरा,
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
.... आवेदक

विरूद्ध

1– गोविन्द सिंह पुत्र श्री लल्लू यादव
2– विजय सिंह पुत्र श्री लल्लू यादव
निवासीगण– छिदारा तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
.......अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 29.11.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व निरीक्षक पलेरा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 23.06.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा ग्राम छिदारा में स्थित भूमि खसरा नं. 83/1/1, 83/1/2 रकवा 2.038, 2.037 है0 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक पलेरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण क्रमांक 14/अ–12/2015–16 पर पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गयी।
2. यहकि, राजस्व निरीक्षक न्यायालय द्वारा प्रारंभ की गयी सीमांकन कार्यवाही के संबंध में आवेदक को कोई सूचना पत्र नहीं दिया गया और न ही मेढिया कृषको को किसी भी प्रकार का कोई सूचना पत्र नहीं दिया गया किन्तु आवेदक को जानकारी होने पर उनके द्वारा दिनांक 14.06.2016 को एक आपत्ति राजस्व निरीक्षक पलेरा के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत की गयी है कि भूमि खसरा नं. 102, 103, 104, 105, 106/3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक I/निग0/टीकमगढ/भू0रा0/2017/2428

प्रतिपाल विरूद्ध गोविन्द आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20–2–2019	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चर्तुवेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक पलेरा जिला टीकमगढ़ के सीमांकन प्रकरण कमांक 14/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 23–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (3) सदस्य 20/2/19	